IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# शिक्षक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनईपी 2020 का तुलनात्मक अध्ययन

**नाजिया[1], डॉ संजीव कुमार[2]**

[1] शोधकत्री, चौ.च.सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, कु॰मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय।

**सार**

जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकत्री द्वारा शिक्षक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनईपी 2020 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

**कुंजी शब्दः शिक्षक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।**

[1] शोधकत्री, चौ.च.सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, कु॰मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय।

## प्रस्तावना

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के शिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैशिक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नत, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैशिक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन–पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट और लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री **पी.वी. नरसिम्हा राव** की सरकार के आधीन तथा 1992 की अवधि में लागू किया गया था। यह नीति 1986 की अवधि में प्रज्वलित नीति में किया गया एक सुधार है। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना, समाज के एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों को अवसर देना और सभी को पूर्ण शिक्षा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा, शैक्षिक प्रणाली में मतभेदों को दूर करने और सामान्य वित्त पोषित मदरसों की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित थी। देहाती और नागरिक क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में आवास और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए **"ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड"** की दिशा में एक कदम उठाया गया था।

**प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी** द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा प्रज्वलित की गई थी, जो सभी परिस्थितियों में शिक्षकों के कैरियर के समग्र विकास के लिए ज्ञान के यथार्थवादी दृष्टिकोण, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, बहु–विषयक पाठ्यक्रमों पर बल दे रही है। इसलिए, इस अध्ययन द्वारा विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में एनईपी 2020 और एनईपी 1986 की नितियो का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

**संबंधित साहित्य की समीक्षा**

राजश्री चंचल (2021) ने अपने पत्र में शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात् इन्होंने पाया कि शिक्षा नीति 2020 न्यूनतम वित्तीय इनपुट और अन्य संसाधन आवंटन के साथ संरचनात्मक प्रणाली में परिवर्तन लाकर शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास करती है। गुप्ता और अच्युत पी. (2021) ने अपने एक अध्ययन में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों यानी एनपीई 1986 और एनपीई 2022 पर प्रकाश डाला था। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत की नई और पुरानी शिक्षा नीतियों की तुलना करना और एनईपी 2020 में बताए गए उद्देश्यों के विपरीत परिवर्तनों का निरीक्षण करना था। इस अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग और कुशलता से एनईपी 2020 में सुझाए गए निर्धारित परिवर्तनों और संशोधनों में भारत के शिक्षा क्षेत्र को बदलने और क्रांति लाने और इन नीतियों को लागू करने पर भारत को विश्व नेता बनाने की व्यापक गुंजाइश और क्षमता है। श्रीमती एच, कृष्णमूर्ति ए. (2020) ने अपने पत्र में स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान जन शिक्षा की यात्रा को समझने तथा जांच के लिए प्रस्तुत किया है। इनके अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात् की अवधि में कई समितियां, रिपोर्टें, अधिनियम आये। ब्रिटिश काल की शिक्षा पर विभिन्न रिपोर्टों को, आलोचनाओं और कमियों के बावजूद, स्वतंत्रता के बाद आज तक की शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और रूपरेखाओं का मसौदा तैयार करते समय उसमें शामिल किया गया है। वर्तमान नई उच्च शिक्षा नीति धीमी गति से सीखने वालों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिला शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक समावेशी विकास, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और उत्तर–पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की पहुंच की कठिनाई के बारे में बड़े पैमाने पर इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करती है। सन एंड शीज़ (2020) ने चीन के स्थानीय माध्यमिक शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं का विश्लेषण किया था जो शिक्षकों की स्थिति और विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि शिक्षकों के पास मध्यम स्तर की शैक्षणिक क्षमता, निम्न स्तर की पाठ्यक्रम क्षमता, चिंतनशील क्षमता, वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता, और मूल्यांकन क्षमता है। हालांकि, शिक्षकों के पास सूचना और संचार क्षमता का उच्च स्तर है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार और आत्म–विकास जागरूकता के लिए प्रभावी सेवाकालीन प्रशिक्षण का सुझाव दिया है।

**समस्या की आवश्यकता एवं महत्व**

कोई भी नीति, किसी भी क्षेत्र के लिए एक विशेष प्रणाली के संचालन के दिशानिर्देश निर्धारित करती है, विशेष रूप से जिसमें एक पदानुक्रमित संरचना होती है। शिक्षा इन क्षेत्रों से अलग नहीं है। यदि शिक्षा के संबंध में कोई नीति न हो तो शिक्षा के संबंधी निर्णय लेना कठिन हो जाता है। भारत की प्रथाओं से सहमत रहते हुए एन.ई.पी. अपने दिशानिर्देशों, संगठन सहित प्रशिक्षण संरचना के सभी भागों से संपर्क और एक ढांचा प्रदान करती है। एन.ई.पी. का उद्देश्य सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा में उचित प्रवेश की गारंटी देना है। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विकास के बावजूद इनमे प्रवेश, बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक असमानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि, सरकारों ने विचार ही नहीं किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया न्यूनतम निवेश अगली पीढ़ी के

लिए कितना अधिक लाभदायक होगा। यह शिक्षा पर पहले की राष्ट्रीय नीतियों की विफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। निगरानी और पर्यवेक्षण के अभाव के कारण स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आयी हैजिसके कारण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार की दिशा में नई रणनीतियों को लागू करना बहुत आवश्यक हो जाता है।

निजी क्षेत्र की अनियंत्रित भागीदारी, संस्थानों में अकादमिक शोध का अभाव, उच्च शिक्षा में कम महिलाएं, आईसीटी में तेजी से विकास, शिक्षा का अनियंत्रित व्यावसायीकरण, कम जवाबदेही और बाहरी दबाव के कारण पिछली नीतियों ने विफलता का का सामना किया। डिजिटल तकनीक दिन–प्रतिदिन हमारी आँखों के सामने काम के आकार और प्रकृति को बदल रही है। ये प्रौद्योगिकियाँ कंपनियों को स्वचालित करने में सक्षम हैं और इनकी वजह से पुराने, आमतौर पर कम और मध्यम–कौशल वाले क्षेत्रों में रोजगार कम हो जाएंगे, लेकिन वे उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार करने और बाद में नए उत्पादों तथा क्षेत्रों के निर्माण के लिये अन्य फर्मों की सहायता करते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत जैसे उभरते बाजार इसका लाभ उठाने के लिये खड़े हैं। लेकिन उन्हें इस कार्य के लिये तैयार होने हेतु सही कौशल शिक्षा को विकसित किया जाना चाहिए।

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर और भी दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत की शिक्षा प्रणाली को सामान्य और तकनीकी पटरियों के बीच अधिक लचीलापन अथवा सामंजस्य स्थापित करना, बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करना, शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाना आदि। एन.ई.पी. 1986 और 2020 दोनों की दृष्टि से विकसित शिक्षा संघों को संतुष्टि के तरीकों में अंतर करने और उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह अध्ययन समाज, विद्यालय तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न विकारों को दूर करने में सहायता करेगा।

**समस्या कथन**

प्रस्तुत शोध में विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के लिए अधिनियमित परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सम्मानपूर्वक एनपीई 1986 और एनपीई 2020 की तुलना करने पर बल दिया गया है। इसलिए इस समस्या का कथन **"विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के विशेष संदर्भ में एनईपी 1986 और एनईपी 2020 का तुलनात्मक अध्ययन"** है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

विषय के कथन के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. शिक्षक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तार से अध्ययन करना।
ii. शिक्षक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार से अध्ययन करना।
iii. विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में एनपीई 1986 और एनपीई 2020 का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**अध्ययन का क्षेत्र**

शिक्षा नीति 2020 में बहु–विषयक दृष्टिकोण के साथ डिजिटल लर्निंग, पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और शिक्षा के उन्नयन के साथ–साथ छात्रों के समग्र विकास के लिए व्यापक क्षेत्र है। एनपीई 1986 में संगीत, कला, उपकरण, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, को रेखांकित नहीं किया गया किन्तु शिक्षा नीति 2020 में इनको महत्व दिया गया है। इसलिए, इस अध्ययन में छात्र केंद्रित शिक्षा के साथ बहु–विषयक दृष्टिकोण के लिए व्यापक क्षेत्र है।

**शोध अध्ययन विधि**

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्री द्वारा वर्णनात्मक (सर्वेक्षण) पद्धति का प्रयोग किया गया है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986**

मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपाने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है, लेकिन देश के इतिहास में कभी–कभी ऐसा समय आता है, जब मुद्दतों से चले आ रहे उस सिलसिले को एक नई दिशा देने की नितान्त जरूरत हो जाती है। आज वही समय है। हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम, पर पहुंच गया है जहाँ से हम अब तक के संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ण को पफायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करें। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी, 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जायेगी। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई।

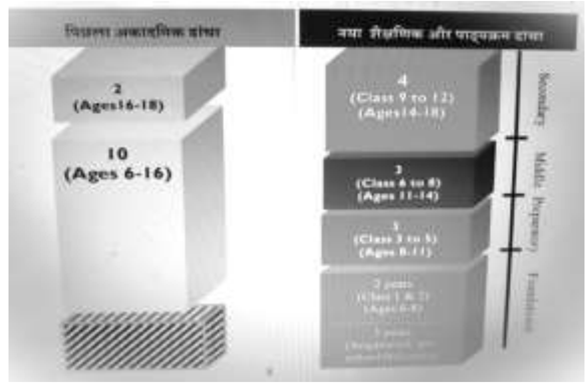


कई स्रोतों से सुझाव व विचार प्राप्त हुए, जिन पर कापफी मनन–चिंतन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप देना था। यह नीति राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में बनाई गई थी। इस नीति में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं पर विचार किया गया और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक महत्वपूर्ण नीति थी, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नीति के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए। हालांकि, इस नीति की कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नीति अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई है।

**नई शिक्षा नीति 2020**

21वीं सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। जिसमे शिक्षा सम्बन्धित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया है। वही हाल ही में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया है, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। सन 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरंभ की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कार्यान्वयन की योजना जल्द सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। यह 1968 और 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे जैसे कि शिक्षा की विभिन्न धाराओं के बीच पारंपरिक रेखाओं को हटाया जाएगा, नई पीढ़ी के छात्रों को अधिक शिक्षा सामग्र प्रदान किया जाएगा आदि। जिससे कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इस शिक्षा नीति को आने वाले 2 दशकों के लिए बनाया गया है। इस नेशनल एजुकेशन पालिसी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सितंबर माह में एक शिक्षा पर्व आयोजित किया गया था। इस शिक्षा पर्व के दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी। मंत्रालय को इस शिक्षा पर्व के माध्यम से 15 लाख हितधारकों के सुझाव प्राप्त हुए थे। ैप्त्व् प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया था और मई 2019 में कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत में लागू होने जा रही है। जिसके तहत शिक्षा नीति में बहुत से बदलाव किये जा रहें हैं।

**विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 के बीच तुलना**

| विद्यालयी शिक्षा | | |
|---|---|---|
| | **नई शिक्षा नीति 2020** | **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** |
| 1 | शिक्षा मंत्रालय | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| 2 | सकल नामांकन अनुपात – 50ः (2035) | सकल नामांकन अनुपात –26.3ः (2018) |
| 3 | 5+3+3+4 प्रारूप | 10+2 प्रारूप |
| 4 | उम्र का ब्रेक–अपः 3–8, 8–4, 11–14, 14–18 | उम्र का ब्रेक–अपः 6–16, 16–18 |
| 5 | परीक्षा– कक्षा 3, 5, 8, 10, 12 | परीक्षा– प्रत्येक वर्ष कक्षा 12 तक |
| 6 | बोर्ड परीक्षा– उद्देश्य और विवरण, वर्ष में दो बार | बोर्ड परीक्षा– वर्णनात्मक, वर्ष में एक बार |
| 7 | कला, वाणिज्य, विज्ञान का कोई कठिन पृथक्करण नहीं। सभी को पाठ्यक्रम के साथ मिलाया जाएगा | कठिन पृथक्करण– कला, वाणिज्य, विज्ञान |
| 8 | पाठ्यचर्या सामग्री को उसके मूल में कम कर दिया जाएगा | ऐसी कोई अनिवार्य नीति नही |
| 9 | कक्षा 6 से 8 तक एक व्यावसायिक विषय होना चाहिए– | मौजूदा प्रारूप में अनिवार्य नहीं है . |
| 10 | बैगलेस दिनों को प्रोत्साहित किया जायेगा | ऐसी कोई नीति नही |
| 11 | हेल्थ कार्ड और चेकअप होगा | हेल्थ कार्ड और सप्लीमेंट प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं |
| 12 | कौशल सहित छात्रों के लिए 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड | ऐसी कोई नीति नही |
| 13 | कक्षा 6 के बाद से कोडिंग सिखाई जाएगी | मौजूदा प्रारूप में अनिवार्य नहीं है |
| 14 | 3 भाषा– राज्य, क्षेत्र और छात्र की पसंद के अनुसार | 3 भाषा– हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय |

| शिक्षक शिक्षा | |
|---|---|
| **नई शिक्षा नीति 2020** | **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** |
| शिक्षा मंत्रालय | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक | राष्ट्रीय अध्यापक–शिक्षा परिषद् को सामर्थ्य और साधन दिए जाएंगे जिससे यह परिषद् |

| | |
|---|---|
| शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षकों और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से विकसित किया जाएगा। | अध्यापक–शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए अधिकारिक हो और उनके शिक्षाक्रम और पद्धतियों के बारे में मार्गदर्शन कर सके। |
| शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, एनसीएफटीई 2021, एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से तैयार किया जाएगा। | अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा–विभागों में आपस में मिलकर काम करने की व्यवस्था की जाएगी। |
| उम्मीदवार द्वार स्नातक डिग्री पूर्ण करने के लिए बिताये गए वर्षो के आधार पर सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा 4–वर्ष, 2–वर्ष, और 1–वर्ष के बी. एड. कार्यक्रम प्रदान किए जायेंगे। 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. होगी। | ऐसी कोई नीति नही |
| परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक बड़ा समूह होगा, जो विश्वविद्यालय/कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक सलाह/पेशेवर सहायता प्रदान करने के इच्छुक होंगे। | **'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान'** स्थापित किए जाएंगे जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की और अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इन संस्थानों की स्थापना के साथ बहुत सी घटिया प्रशिक्षण संस्थाओं को बन्द किया जाएगा। |
| स्टैंड–अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 2030 तक 4–वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की पेशकश करते हुए बहु–विषयक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा। | कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक–प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में काम कर सकें। |
| शिक्षक शिक्षा में अखंडता बहाल करना। | वर्तमान नीति में शिक्षण पद्धतियों, शिक्षाशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान और अन्य कई क्षेत्रों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव हैय इसका उद्देश्य 5 वर्षों में कम से कम एक बार प्रत्येक कौशल को |

| | | |
|---|---|---|
| | | कवर करने के लिए शिक्षकों की सेवा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना भी है। यह शिक्षकों को सेमिनार, कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। |
| 8 | एनईपी ने विश्वविद्यालयों के विभागों को शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार के लिए रिक्त स्थान को सुदृढ़ और विकसित करने की सिफारिश की है। विश्वविद्यालयों के विभाग स्कूली शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा में शिक्षक के सेवापूर्व शिक्षा और सेवाकालीन सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) की व्यवस्था करेंगे । | शिक्षकों के में स्व–शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक विशेष कार्यक्रम चलाएगा। |
| 9 | एनईपी 2020 पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य और केंद्र सरकार के साथ रूसा द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए क्षमता नियोजन, शिक्षक शिक्षा में शिक्षकों की संख्या, ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम की पेशकश, अनुसंधान आधारित शिक्षक तैयारी, विशेष विषयों के लिए अंतर–विभागीय सहयोग, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की भी सिफारिश करती है। | शिक्षकों की भर्ती सामान्य योग्यता परीक्षणों के आधार पर की जाएगी, जिसका विवरण यूजीसी द्वारा तैयार किया जाएगा। |

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री ने दोनों शिक्षा नीतियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा नई शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन किया तथा इन दोनों नीतियों द्वारा विद्यालयी शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के लिए दिए गए सुझावों तथा सुधारों की समीक्षा करने के पश्चात् निम्नलिखित शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए –

1. दोनों नीतियों में शिक्षक शिक्षा के विकास की सिफारिश की गई है।
2. दोनों नीतियों में शिक्षक शिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक ढांचे और संकायों के लिए सिफारिश की गई है।
3. शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक शिक्षा के लिए चार वर्षीय एकीकृत ठण्म्कण कार्यक्रम की सिफारिश की है लेकिन शिक्षा नीति 1986 ने अलग से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की।

4. दोनों नीतियों में सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया हैं।
5. शिक्षा नीति 1986 ने प्रारंभिक स्तर के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी लेकिन शिक्षा नीति 2020 ने अलग से कोई सिफारिश नहीं की है।
6. शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 2020 दोनों ने शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए छब्ज्म के कर्तव्यों का उल्लेख किया है।
7. शिक्षक शिक्षा संस्थानों में शिक्षक–शिक्षकों की योग्यता पर शिक्षा नीति 2020 ने सिफारिश की लेकिन शिक्षा नीति 1986 ने कुछ भी विशेष उल्लेख नहीं किया है।
8. शिक्षा नीति 2020 ने बहु–विषयक शिक्षक शिक्षा की सिफारिश की है जो शिक्षा नीति 1986 में अनुपस्थित थी। शिक्षा नीति 1986 ने स्कूलों के सेवारत शिक्षकों पर एक अलग हिस्से में बहुत बारीक सिफारिश की है। दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग के हिस्से में शिक्षा नीति 2020 ने बहुत कम सिफारिश की है।
9. शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक शिक्षा के लिए एक संवर्ग की सिफारिश की है लेकिन शिक्षा नीति 2020 ने संवर्ग के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

हालांकि एनपीई–1986 और एनईपी–2020 में समानताएं और असमानताएं हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षा के उत्थान के लिए इन दोनों नीतियों का बहुत महत्व है। इसलिए एनपीई–1986 ने रिले रेस की तरह ही एनईपी–2020 को शिक्षक शिक्षा का चिराग सौंप दिया है। एनपीई–2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा की सिफारिश की है लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और कहां तक लागू किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी।

**सुझाव**

i. स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों की जवाबदेही को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाना चाहिए। (मूल्यांकन विशिष्ट आकलन पर आधारित होना चाहिए)
ii. ईसीसीई में मुख्य रूप से लचीली, बहू–आयामी, बहू–स्तरीय, खेल–आधारित, गतिविधि–आधारित, और खोज–आधारित शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
iii. भारत में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वणभौमिक पहुँच सरल होनी चाहिए।
iv. सभी बच्चों के शिए मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए।
v. पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

vi. शिक्षक शिक्षा के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर एक अलग शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय की आवश्यकता है।

vii. राज्य स्तर पर शिक्षक शिक्षा नीति में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को प्रोत्साहित करने के लिए 2030 तक किसी भी नए शिक्षक शिक्षण संस्थान को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

viii. शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को एक साथ आना चाहिए।

ix. सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों स्तरों पर शिक्षकों/शिक्षक शिक्षकों (सीपीडी) के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए, मुख्य दक्षताओं और पेशेवर व्यवहार के आधार पर शिक्षक शिक्षकों और नेताओं (प्राचार्यों और अन्य प्रशासनिक प्रमुखों) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक अलग विंग, या तो शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा विभाग में गठित किया जाना है।

x. शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची


- गुप्ता सोनल और अच्युत पी. (2021), भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियांः उच्च शिक्षा के संबंध में एक तुलनात्मक अध्ययन, हंस शोध सुधा, वॉल्यूम–1, अंक–3, पृष्ठ सं. 20–27.
- श्रीमती एच, कृष्णमूर्ति ए (2020), एजुकेशन ऑफ इंडिया इन प्री–इंडिपेंडेंट योर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, वॉल्यूम–9, अंक–01, आई एस एस एन 2277–8616 2250 पृष्ठ सं. 2250–2254
- साहू बी., पटनायक एस.और पात्रा आर. (2019), ओडिशा के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, आईएसएसएन 2319–3565, वॉल्यूम 8(2), पृष्ठ सं.7–12.
- सिंग प्रदीपादित्य (2019), ''राष्ट्रीय नीति''1986 और ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति''2019 में शिक्षक शिक्षा पर एक तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ करंट एडवांस्ड रिसर्च, आई एस एस एनः 2319–6505, इम्पैक्ट फैक्टरः 6.614, पृष्ठ सं. 20757–20759. //dx.doi.org/10.24327/ijcar.2019. 20759.4064
- विनोथकुमार के. (2018), भारत की आरंभिक राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां– एक समीक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल (आईआरजेईटी), ई–आईएसएसएनरू 2395–0056, खंडरू 05, पृष्ठ सं.1148–1151
- Samsujjaman, (2017). Development of Teacher Education in 21st Century at Primary and Secondary Level in India.International Journal of Scientific Research and Training. Retrieved from http://ijsae.in/index.php/ijsae/article/view/180
- Sharma, S.P. (2016). TEACHER EDUCATION, Principles, theories and Practices. Ansari Road, Daryaganj, New Delhi.Kanishka Publishers, Distributors.

- Navi Chidanand (2015), An overview on Educational Commissions/Policies before Independence in India, Global English-Oriented Research Journal (GEORJ), ISSN 2454-5511, Pp.52-59
- विजयवर्गीय शंकर (2005), भारतीय शिक्षा का इतिहास, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, आईएसबीएन : 81—7028—201—2
- Ravat Pyarelal (1955). Bharatiya Shiksha Ka Itihas. Publisher Ram Prasad and Sons. retrieved from digitallibraryindia; JaiGyan on august 26,2022
- MHRD . (1986) . National Education Policy 1986 . New Delhi : MHRD , Govt. of India.
- Ministry of Education (2020) . National Education Policy 2020 . New Delhi : Ministry of Education, Govt. of India.
- MHRD (1987) Report of the Committee for Review of National Policy on Education, New Delhi : MHRD, Govt. of India.
- MHRD (1992). National Policy on Education ( revised ). New Delhi : MHRD, Govt. of India.